

15-7-15

पञ्जावली आज राजस्व लोक अदालत /
 हेमप कोर्ट अदालत येका केन्द्र गुणप
 इलीगल पर प्रस्तुत इलीगल वारी मॉड
 शेकलर खान उपाधित। पुतिवारी पादशास
 लाकडर तामीनी खान उपाधित नही
 ही वारी को खुला गमा। पञ्जावली इन
 उला पर उपलब्ध दरमोयगत का
 उपाधित निका गमा। तलत जमावली
 साकत २०६६-२०६७ वारी गमा उखलाना मे
 आरख.न. १७८६ रुकवा १.९५ हेर वारी
 इमीदा खुलताना फली सई दुइनेर, सोमव रवा
 पाली दुइनेर रवा पुन सई दुइनेर, तलतल सई
 पारजान सई ड मेराज सई ड खाजिमा सई ड
 पुतिमा सई दुइनेर कोम मुसलमान खा-
 उलीगद खातेदार रक ही। पुतिवारी मे
 अपने जवाब दावे मे मात है कि उमा
 आराजी पर पुतिवारी का कोई लेना देना
 नही है। वारी का कथन है कि पुतिवारी
 का कोई लेना देना नही है वो हमपर
 वाद डिडी कर दिया जावे।

पञ्जावली
का

अतः राजस्व लोक अदालत
 की सक्षता मे मध्य नजर रखते हुये वलद
 वारी डिडी किये जाना न्यायोचित है अतः
 वार वली डिडी किये जाकर पुतिवारी को
 पाबन्द किया जाना है कि वे वारी के
 खातेदारी एवं कलजे का मत की उक्त वारि
 आराजी ख.न. १७८६ रुकवा १.९५ हेर वारी
 गाम उखलाना तललीत गुतिपारा मे
 कियी पुरख सि दरखलंदाजी नही करे।
 पच डिडी जारी है। पञ्जावली जलतलपुनल
 होकर तम्बर के सत है तथा दरखल दाखिल है।

सप खण्ड अधिकारी
उनिवार जिला ठेक

मूल वादे में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

प्रपत्र-5

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी अनियारा जिला टोंक

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कंप्यू कोर्ट) जयपुर केवा 20 अक्टूबर

पीठासीन अधिकारी..... उपखण्ड अधिकारी अनियारा


मेरे शोएक रवा पुव श्री सुदुहीन उनवान आगरात पुव शोएक रवा सेवू जातिनी
जाति मुखलवान निवासी पुराने धाके बनाम निवासी शउवान तह चोय व करवात
के पास अलीगट तह उपपरात जिला खवाहे भाचोपुर (रजि)

दावा बाबत
मुकदमा नम्बर :- 159/2015
निर्णय दिनांक :- 15-7-2015

वादी की और से मेरे शोएक रवा की व प्रतिवादी की और से
की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 15-7-2015 को श्री सुभाष चन्द शर्मा
(नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी अनियारा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश
होने पर, आदेश किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि -

प्रतिवादी को पाबन्द किया जाता है कि वे वादी के खचेदारी एवं
कच्चे कास्ट की आराजी खचण्ड 1786 शकवा 1-94 ई० वारे गु
उखलाना तहखील अनियारा से किसी प्रकार की दरखलदाजी
नहीं करें।

खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करेंगे।
यह आज तारीख 15-7-2015 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर
दी गई।

()
पीठासीन अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
अनियारा जिला टोंक

वाद के खर्चे

| वादी | प्रतिवादी | |
|----------------------------------|---|------------------|
| | रूपया | रूपया |
| 1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प | शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस | रूपया |
| 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प | | |
| 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प | | |
| 4. रूपये पर प्लीडर की फीस | | |
| 5. साक्षियों के लिए निर्वाह-व्यय | | |
| 6. कमिश्नर की फीस | | |
| 7. आदेशिका की तामील | | |
| योग | | |